न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या–अपील/टी.ए./7909/2008/कोटा

1– मोहनीबाई पत्नि बाबूलाल पुत्री प्रभूलाल जाति ब्राहमण निवासी मोराना तहसील दीगोद जिला कोटा

–अपीलार्थी

बनाम

1– जगन्नाथ पुत्र मथुरालाल मृतक जरिये वारिसान–
1/1– श्रीमती गुलाब बाई पत्नि जगन्नाथ मृतक
1/2– शिव प्रसाद पुत्र जगन्नाथ मृतक जरिए वारिसान–
1/2/1– विष्णु प्रसाद पुत्र शिव प्रसाद
1/2/2– नरौतम पुत्र शिव प्रसाद
1/2/3– पूर्णाशंकर पुत्र शिव प्रसाद
1/2/4– सुनीता पुत्री शिव प्रसाद
1/2/5– कलावती पत्नि शिव प्रसाद
1/3– नंदबिहारी पुत्र जगन्नाथ
समस्त जाति ब्राहमण निवासी मौराना तहसील दीगोद जिला कोटा।
2– राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

उपस्थितः–
श्री माधवराज, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री भीयाराम चौधरी, अधिवक्ता, रैस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 28–10–2024

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या–87/2006 बउनवानी मोहनीबाई बनाम जगन्नाथ व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05–10–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी की माता कल्याणी के विरूद्ध एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 व 88 के अंतर्गत विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी दीगोद में ग्राम मोराना स्थित खाता संख्या– 9 की 27 बीघा 05 बिस्वा भूमि एवं खाता संख्या– 11 की 18 बीघा 10 बिस्वा भूमि बाबत् प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित नौ तनकिया कायम करने के उपरान्त उभयपक्ष की साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 04.12.1985 से प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए ग्राम मोराना तहसील दिगोद के खाता संख्या– 09 की 27 बीघा 05 बिस्वा भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी का हिस्सा 1/2 व 1/2 व खाता संख्या– 11 की 18 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी का हिस्सा 1/2 व 1/2 व बजरंग लाल, गोपाल को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार दिगोद से विभाजन प्रस्ताव तलब किए गए। तत्पश्चात् विद्धान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.02.2006 से मूल वाद में अंतिम डिक्री पारित की। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05–10–2006 से आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण को विकल्प परिवर्तन के निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील मंडल के समक्ष प्रस्तुत की।

3– उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– विद्धान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए तर्क किया कि वादग्रस्त आराजी दिनांक 21.11.94 को वाद में दोनों अभिभाषकों के अनुपस्थित होने पर पत्रावली अदम पैरवी में खारिज कर दी गई उसके पश्चात प्रतिवादीगण को बिना नोटिस दिये ही पत्रावली नम्बर पर ले ली गई इसके पश्चात् दिनांक 26.10.05 को वादी के वकील एवं वादिनी की अनुपस्थिति में दावा अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया उसके पश्चात् दिनांक 28.10.05 को रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जिस पर प्रतिवादीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये पुनः नम्बर पर ले लिया गया था और प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.02.2006 भी अपीलान्ट की अनुपस्थिति में किया गया है, जिस पर पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं हैं। विभाजन करते समय अच्छी भूमि में 1/2 तथा खराब भूमि में भी 1/2 हिस्सा दिया जाना चाहिए जबकि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को अच्छी भूमि व

अपीलान्ट को खराब भूमि दी है। मौके पर विभाजन करते समय कब्जे को नहीं देखा गया एवं दिनांक 01.02.06 को प्रतिवादी की अनुपस्थिति में वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर विभाजन प्रस्ताव को मंजूरी दी थी जो नियम विरूद्ध है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों व डिक्री को अपास्त किया जावे।

5– विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट का तर्क है कि तहसीलदार द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव भेजा गया वह नियम 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत भेजे गए और प्रत्येक खसरा नंबर में से 1/2–1/2 हिस्सो का वादी एवं प्रतिवादी के पक्ष में विभाजन किया गया है जिसमें क्या विधिक त्रुटि है अपीलार्थी द्वारा अपने अपील मीमों में अंकन नहीं किया गया है। आगे यह भी तर्क किया है कि यदि प्रतिवादी/ अपीलांट को कोई आपति नहीं है तो हमारे हक में जो भूमि डिक्री की है उसको उनके पक्ष में कर दी जावे और जो भूमि उनके हिस्से में डिक्री की गयी है वह हमारे पक्ष में डिक्री कर दी जावे। इस पर विकल्प दिनांक 26.10.2006 तक अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने का समय प्रतिवादी/अपीलांट को दिया गया था किन्तु उसके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आज दिनांक तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया है और अपीलांट/प्रतिवादी अनावश्यक रूप से प्रकरण में देरी करना चाहते है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का सम्मान अवलोकन किया।

7– पत्रावली एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/ रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी की माता कल्याणी के विरूद्ध एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 व 88 के अंतर्गत विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी दीगोद के न्यायालय में ग्राम मोराना स्थित विवादित आराजी खाता संख्या– 9 की 27 बीघा 05 बिस्वा भूमि एवं खाता संख्या– 11 की 18 बीघा 10 बिस्वा भूमि बाबत् प्रस्तुत किया उक्त वाद में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 09 तनकीयात कायम करने के उपरांत उभयपक्ष की साक्ष्य लिपिबद्ध किए जाने के पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 04.12.1985 से प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए ग्राम मोराना तहसील दिगोद के खाता संख्या– 09 की 27 बीघा 05 बिस्वा भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी का हिस्सा 1/2 व 1/2 व खाता संख्या– 11 की 18 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी का हिस्सा 1/2 व 1/2 व बजरंग लाल, गोपाल को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार दिगोद से विभाजन प्रस्ताव तलब किए गए। प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील मण्डल स्तर से दिनांक

15–06–1997 को खारिज हो गयी। तदुपरान्त विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार दिगोद से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर मूल वाद में अंतिम डिक्री दिनांक 01.02.2006 जारी करते हुए प्रतिवादी मोहनीबाई पुत्री प्रभुलाल के खाते ग्राम मोराना के खसरा नंबर 122 मिन रकबा 0.08 है0, 139 मिन रकबा 0.12 है0, 140 मिन रकबा 0.07 है0, 143 मिन रकबा 0.15 है0, 144 मिन रकबा 0.12 है0, 414 मिन रकबा 0.67 है0, 534 मिन रकबा 0.64 है0, 569 मिन रकबा 0.26 है0, 723 मिन रकबा 0.52 है0 (खसरा नंबर 723 भू सुधार के पश्चात् खसरा नंबर 709) कुल किता 09 रकबा 2.63 है0 भूमि तथा वादी जगन्नाथ के खाते मोराना की आराजी खसरा नंबर 122/1 रकबा 0.08 है0, 139/1 रकबा 0.11 है0, 140/1 रकबा 0.08 है0, 143/1 रकबा 0.15 है0, 144/1 रकबा 0.12 है0, 114/1 रकबा 0.66 है0, 534/1 रकबा 0.64 है0, 569/1 रकबा 0.26 है0, 723/1 रकबा 0.52 है0 (खसरा नंबर 723 भू सुधार के पश्चात् खसरा नंबर 709) कुल किता 09 रकबा 2.62 है0 भूमि दर्ज करने के आदेश पारित करते हुए उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाता दर्ज करने के आदेश पारित किए गए। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील मे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05–10–2006 से आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण में प्रतिवादी/अपीलार्थी को विकल्प परिवर्तन का अवसर दिनांक 26.10.2006 तक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के निर्देश के साथ प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना मे विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 08.11.2006 को पत्रावली पेशी में नियत की जाकर प्रतिवादी/अपीलार्थी को तीन दिवस में विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 15.11.2006 को विकल्प प्रस्तुत नहीं करने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयानुसार पूर्व पारित निर्णय दिनांक 01.02.2006 को बहाल रखा। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में प्राथमिक डिक्री के अनुसार ही मूल वाद में अंतिम डिक्री पारित की गयी है और प्रतिवादी/अपीलार्थी को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विकल्प परिवर्तित करवाने का अवसर भी प्रदान किया गया किन्तु प्रतिवादी/ अपीलार्थी द्वारा उक्त अवसर की पालना में कोई नवीन विकल्प विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

8– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। इस बाबत् विधिक स्थिति स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती

निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9– परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है और विद्वान विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी, दिगोद द्वारा वाद संख्या–163/1993 बउनवानी जगन्नाथ बनाम कल्याणी में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01–02–2006 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या–87/2006 बउनवानी मोहनीबाई बनाम जगन्नाथ व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05–10–2006 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष